PBC No. 98 / 2026
RBE No. 55 / 2026

दक्षिण रेलवे Southern Railway
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय
Office of the Principal Chief Personnel Officer
प्रधान कार्यालय, कार्मिक विभाग, चेन्नै-600003
Headquarters, Personnel Department, Chennai-600003

No: P(R) 500 / P / UPS

दिनांक/Date: as signed

All PHODs/ DRMs/ CWMs/ CEWE/ CAO/ CPM/ PDA/ Dy.CPOs/ Sr.DPOs/ Secy to GM, Chairman/RRB/MAS,TVC, Addl.Registrar/RCT/MAS,
Principal MDZTI/TPJ, SRCETC/TBM, ZETTC/AVD,
DPOs/SPOs/WPOs/APOs of HQ/Divisions /Workshops/Units.

विषय/Sub: Exit and Withdrawal under the National Pension System (Amendment) regulations, 2025 - reg .

A copy of the Railway Board's letter No. 2016/F/(E)III/1(1)/3 dated 06.07.2026 alongwith a copy of Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFDRA)'s Gazette Notification No. PFRDA/16/14/06/0009/2018-REG-EXIT Dt.12.12.2025 on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

संलग्नक/Encl. 23 pages.

Digitally signed by
CHILAKALAPUDI ANJANI KUMAR
'Date: 2026.07.08 08:39:11 +05'30

सहायक कर्मचारी संबंधी अधिकारी/Asst Personnel Officer / IR & Trg.
कृते प्रमुकाधि/**For Principal Chief Personnel Officer**

प्रतिलिपि/Copy to: The General Secretary/SRMU
The General Secretary / DREU
The General Secretary/AISCTREA
The General Secretary/AIOBCREA
The General Secretary/NFIR
IT Section/PB/HQ - to upload in the SR website.

RBE No.55/2026

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2016/F(E)III/1(1)/3 **New Delhi, Dated: 06 .07.2026**

The General Managers/Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/Production Units etc.,
DGs of RDSO and NAIR.

Subject: Exit and Withdrawal under the National Pension System (Amendment) regulations, 2025 –reg.

A copy of Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)'s Gazette Notification No. PFRDA/16/14/06/0009/2018-REG-EXIT date 12th December, 2025 on the above subject is enclosed for information and compliance. The portion of the Notification concerning "Government Sector Subscriber" shall apply mutatis-mutandis on Railways.

2. The Fundamental Rule 56 and the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 mentioned in the ibid notification corresponds to Chapter 18 of Indian Railway Establishment Code Vol. II, (1987-Edition) and Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2025.

06/07/2026

(Ramesh Chandra Pandey)
Deputy Director, Finance (Estt.)-III
Railway Board

D.A : As above

No. 2016/F(E)III/1(1)/3 **New Delhi, Dated: 06 .07.2026**

Copy to:

Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhawan, New Delhi

06/07/2026

For Member Finance, Railway Board.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122025-268548
CG-DL-E-16122025-268548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 808] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/ अग्रहायण 24, 1947
No. 808] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/ AGRAHAYANA 24, 1947

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2025

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. पीएफआरडीए/16/14/06/0009/2018-आरईजी-एग्जिट.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) और (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं, नामतः : -

1. इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा ।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 (इसके बाद 'मुख्य विनियम' के रूप में संदर्भित), के विनियम 1 में,

(क) उप-विनियम (1) के अंतर्गत अनुच्छेद में, "और उसके पश्चात वार्षिकी का क्रय करेगा " शब्दों को हटा दिया

जाएगा।

(ख) उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् : -

" (1क) ये विनियम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन योजनओं से निकास और प्रत्याहरण पर लागू होंगे।"

4. मुख्य विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,

(क) खंड (ख) में, "स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में संचित पेंशन विनिधानों" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक व्यक्तिगत पेंशन खाते में संचित होने वाले विनिधानों" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) खंड (ग) को हटा दिया जाएगा।

(ग) खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड अन्तर्विष्ट किया जाएगा : -

"(चक) 'स्थगित' या 'स्थगन' अर्थात किसी अभिदाता द्वारा एकमुश्त राशि का प्रत्याहरण या वार्षिकी क्रय करने का स्थगन;

(घ) खंड (झ) को हटा दिया जाएगा।

(ङ) खंड (ट) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "निकास" का अर्थ निम्नलिखित होगा:

(1) निम्नलिखित में से किसी भी मामलों में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत किसी अभिदाता द्वारा अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद करने या पेंशन योजना से निकास के लिए चयन का प्रयोग:

(i) रोजगार की शर्तों के अनुसार अधिशेष या रोजगार से सेवानिवृत्त होने पर या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, या उसके बाद किसी भी समय,

(ii) कम से कम पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए पेंशन योजना की सदस्यता लेने या ऐसी योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अन्य उच्च अवधि के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार के रोजगार के कारण सदस्यता लेने वाली योजना पर लागू नहीं होगा, या

(iii) इन विनियमों के अनुसार किसी अभिदाता द्वारा किसी खाते को समय से पहले समापन करना या पेंशन योजना से निकास पर, ऊपर उल्लिखित मामलों के अलावा।

(2) अभिदाता की मृत्यु होने पर या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत अभिदाता के लापता होने और मृत माने जाने की स्थिति में, व्यक्तिगत पेंशन खाते का समापन करना।

बशर्ते कि, जहां एक अभिदाता के पास एक से अधिक व्यक्तिगत पेंशन खाते हैं, प्रत्येक व्यक्तिगत पेंशन खाते का निकास और समापन अलग-अलग होगा और इन विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(च) खंड (ठ) को हटा दिया जाएगा।

(छ) खंड (ठ) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतर्विष्ट किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(ड)"गैर-सरकारी क्षेत्र के अभिदाता" अर्थात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के अभिदाता के अलावा कोई अन्य अभिदाता;

(ढ) सर्व नागरिक मॉडल अभिदाता से अभिप्रेत है, ऐसा कोई अभिदाता जिसने स्वेच्छा से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता ली हो और केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरणके साथ इस रूप में पंजीकृत हो;

(ण) कारपोरेट क्षेत्र के अभिदाता से अभिप्रेत है, ऐसा कोई गैर-सरकारी क्षेत्र का अभिदाता जिसने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता ली हो और केन्द्रीय अभिलेखपाल एजेंसी के साथ इस रूप में पंजीकृत हो;

(त) "पेंशन योजना" अधिनियम की धारा 20 के तहत पेंशन निधि की किसी योजना से अभिप्रेत है और इसमें शामिल होंगे:

(i) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए लागू सामान्य योजना(एं), जैसा भी मामला हो;

(ii) बहु-योजना ढांचे के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना(एं);

(iii) प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई अन्य योजना(एं)।

स्पष्टीकरण: "सामान्य योजना" अर्थात बहु-योजना ढांचे के अंतर्गत शामिल योजनओं के अलावा पेंशन निधि की एक योजना;"

5. मुख्य विनियमों में, अध्याय 2 में, शीर्षक के बाद अनुच्छेद के लिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के प्रयोजनों के लिए अभिदाताओं को (1) सरकारी क्षेत्र, (2) गैर-सरकारी क्षेत्र और (3) एनपीएस-लाइट और स्वावलंबन के रूप में प्रवर्गीकृत और परिभाषित किया गया है। तदनुसार इसके अधीन विनिर्दिष्ट विनियम उस प्रवर्ग पर लागू होंगे जिससे वह अभिदाता संबंधित हैं।"

6. मुख्य विनियमों में, विनियम 3 में, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"3. सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास.- (1) सरकारी क्षेत्र का अभिदाता:

(क) लागू सेवा नियमों द्वारा यथा विहित सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, पचासी वर्ष की आयु तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में तब तक बना रहेगा जब तक कि निकास का विकल्प नहीं लिया जाता है, जिसके बाद संचित पेंशन धन का कम से कम चालीस प्रतिशत मासिक या किसी अन्य आवधिक पेंशन के रूप में प्रदान करते हुए, डिफ़ॉल्ट वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा, जैसा कि अभिदाता द्वारा चुना गया है, और संचित पेंशन धन की शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

उपर्युक्त के बावजूद जहां संचित पेंशन धन:

(i) आठ लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो अभिदाता के पास संपूर्ण संचित पेंशन धन का एकमुश्त प्रत्याहरण या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार करने का विकल्प होगा;

(ii) आठ लाख रुपए से अधिक है लेकिन बारह लाख रुपए से कम है, तो अभिदाता के पास एकमुश्त अधिकतम छह लाख रुपए की राशि या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार निकालने का विकल्प होगा और संचित पेंशन धन की शेष राशि का उपयोग आवधिक भुगतान के रूप में कम से कम छह वर्षों के लिए व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या वार्षिकी या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि, कोई अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या संस्था को अनुरोध प्रस्तुत करके पचासी वर्ष की आयु तक वार्षिकी क्रय करने या एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण को स्थगित कर सकता है और ऐसी अवधि के दौरान अभिदाता के पास किसी भी समय निकास का विकल्प उपलब्ध होगा।

बशर्ते कि, जहां कोई अभिदाता, वार्षिकी क्रय करने को स्थगित कर देता है, ऐसी वार्षिकी खरीद से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो डिफ़ॉल्ट वार्षिकी अनिवार्य रूप से, कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा डिफ़ॉल्ट वार्षिकी के लिए निर्दिष्ट अनुक्रम में क्रय की जाएगी।

परन्तु यह भी कि जहां कोई अभिदाता एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण को स्थगित कर देता है, ऐसी एकमुश्त प्रत्याहरण से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उक्त राशि का भुगतान नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, को किया जाएगा, ।

(ख) सेवा से त्यागपत्र देने की अनुमति दिए जाने पर या सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन के आदेश जारी किए जाने पर, वह स्वेच्छा से अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद कर सकता है, जिसके बाद संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत अनिवार्य रूप से प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी डिफ़ॉल्ट वार्षिकी या किसी अन्य वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और संचित पेंशन धन की शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि, यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन पांच लाख रुपए के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोई अन्य सीमा है, तो ऐसे अभिदाता के पास संपूर्ण संचित पेंशन धन का एकमुश्त प्रत्याहरण या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार करने का विकल्प होगा।

(ग) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पहले, मृत हो जाता है, तो अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत अनिवार्य रूप से डिफ़ॉल्ट वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और संचित पेंशन धन की शेष राशि का भुगतान एकमुश्त या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार, ऐसे अभिदाता के नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, को किया जाएगा।

उपर्युक्त के बावजूद जहां संचित पेंशन धन:

(i) आठ लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों) के पास संपूर्ण संचित पेंशन धन का एकमुश्त प्रत्याहरण या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार करने का विकल्प होगा;

(ii) आठ लाख रुपए से अधिक है, लेकिन बारह लाख रुपए से कम है, तो नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, के पास अधिकतम एकमुश्त छह लाख रुपए की राशि या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार निकालने का विकल्प होगा और संचित पेंशन धन की शेष राशि का उपयोग आवधिक भुगतान के रूप में कम से कम छह वर्षों के लिए व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या वार्षिकी या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) जहां नियोक्ता प्रमाणित करता है कि अभिदाता अपने सम्बंधित कार्यालय की सेवाओं से निःशक्तता या शारीरिक विकलांगता के कारण या लागू सेवा नियमों के तहत समयपूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है, वह उप-विनियम (1) के खंड (क) के तहत निर्दिष्ट पद्धति से निकास करेगा।

बशर्ते कि, केंद्र सरकार के कर्मचारी के मामले में, उप-विनियम (1) के खंड (क) के तहत निर्दिष्ट पद्धति से निकास करना होगा, यदि अभिदाता को सीसीएस एनपीएस नियम, 2021 के तहत निर्धारित निम्नलिखित में से किसी भी आधारों पर सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है:

i) बीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति।

ii) मूल नियमों के नियम 56 या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्ति पर हितलाभ।

iii) अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति पर हकदारी।

iv) निःशक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किये जाने पर पात्रता।

v) यदि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नए संगठन में मौजूद नहीं है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या वित्तपोषित निगम या कंपनी या निकायों में आमेलन पर फायदे।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए -

(i) डिफॉल्ट वार्षिकी में अभिदाता और उसके पति या पत्नी (यदि कोई हो), वार्षिकी कीक क्रय मूल्य की वापसी का प्रावधान के साथ जीवन भर के लिए वार्षिकी का प्रावधान होगा, और ऐसे अभिदाता और उसके पति या पत्नी की मृत्यु पर, यहां विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक कुटुम्ब के सदस्य निम्नलिखित क्रम में आच्छादित न हो जाएँ) कुटुम्ब के सदस्यों को वार्षिकी अनुबंध के तहत वापस किये गए अपेक्षित क्रय मूल्य का उपयोग करके, ऐसी वार्षिकी क्रय करने के समय प्रचलित प्रीमियम की दर पर पुनः जारी की जाएगी: -

(क) मृत अभिदाता की मां;

(ख) मृत अभिदाता के पिता।

ऊपर विनिर्दिष्ट कुटुम्ब के सदस्यों के आच्छादन के पश्चात्, ऐसी क्रय कीमत या राशि जो कि वार्षिकी क्रय करने हेतु उपयोजित की जानी थी, अभिदाता के जीवित बच्चों को और बच्चों के न होने पर, अभिदाता के अन्य विधिक वारिस(सों) को, जैसा भी मामला हो, वापस कर दीजाएगी ।

किसी भी कारण से इस तरह की डिफ़ॉल्ट वार्षिकी की अनुपलब्धता के मामले में, या जहां अभिदाता, नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी लागू हो, डिफ़ॉल्ट वार्षिकी नहीं लेने का विकल्प चुनता है, ऐसे अभिदाता, नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों) को प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए तत्कालीन वार्षिकी विकल्पों में से, अपनी पसंद की ऐसी वार्षिकी क्रय करने के विकल्प का प्रयोग करना होगा;

डिफ़ॉल्ट वार्षिकी के संबंध में प्रदान की गई छूट, व्यवस्थित इकाई आधिमोचन या ऐसे अन्य विकल्पों के रूप में प्राप्त किसी भी आवधिक भुगतान के मामले में भी लागू होगी, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) ऐसे अभिदाता के संबंध में, जो सरकारी क्षेत्र से सेवानिवृत्त या अधिवर्षित हो गया है और सर्व नागरिक मॉडल या कारपोरेट क्षेत्र सहित किसी भी पद्धति से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल है, उसका निकास विनियम 3 द्वारा शासित होगा।

(iii) जहां अभिदाता सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध लाभों का प्रत्याहरण जारी रखता है या उन्हें स्थगित करता है, वहां व्यक्तिगत पेंशन खाते के संबंध में देय व्यय, अनुरक्षण प्रभार और शुल्क, अभिदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) इस विनियम के अंतर्गत निकास पर उपलब्ध लाभ अनुसूची-I की तालिका-1 के अंतर्गत सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदान किए गए हैं।

7. मुख्य विनियमों में, विनियम 4 में, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"**4. गैर-सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास.- (**1) एक गैर-सरकारी क्षेत्र का अभिदाता पचासी वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रणाली में बना रहेगा जब तक कि यहां विनिर्दिष्ट पद्धति से निकास के विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात्: -

(क) जहां कोई अभिदाता ऐसी योजना के उपबंधों के अनुसार कम से कम पंद्रह वर्ष की अवधि या अन्य उच्च अवधि के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता लेने पर या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर; या ऐसे अभिदाता के रोजगार के आधार पर लागू नियमों और शर्तों के अनुसार सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता पर, निकास का विकल्प चुनता है, तब ऐसे अभिदाता की संचित पेंशन धन का कम से कम बीस प्रतिशत अनिवार्य रूप से मासिक या किसी अन्य आवधिक पेंशन के रूप में प्रदान करते हुए, वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और संचित पेंशन धन की शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

उपर्युक्त के बावजूद जहां संचित पेंशन धन:

(i) आठ लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो अभिदाता के पास संपूर्ण संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार करने का विकल्प होगा;

(ii) आठ लाख रुपए से अधिक है लेकिन बारह लाख रुपए से कम है, तो अभिदाता के पास एकमुश्त अधिकतम छह लाख रुपए की राशि या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार निकालने का विकल्प होगा और संचित पेंशनधन की शेष राशि का उपयोग आवधिक भुगतान के रूप में कम से कम छह वर्षों के लिए व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या वार्षिकी या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि, कोई अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या संस्था को अनुरोध प्रस्तुत करके पचासी वर्ष की आयु तक वार्षिकी क्रय करने या एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण को स्थगित कर सकता है और ऐसी अवधि के दौरान अभिदाता के पास किसी भी समय निकास का विकल्प उपलब्ध होगा।

बशर्ते कि जहां एक अभिदाता, वार्षिकी क्रय करने या एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण को स्थगित कर देता है, ऐसी वार्षिकी खरीद या एकमुश्त प्रत्याहरण से पहले मर जाता है, वार्षिकी क्रय करने या एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण के प्रयोजन हेतु, अभिदाता की संचित पेंशन धन का भुगतान नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, को किया जाएगा।

बशर्ते कि, किसी सांविधिक निकाय या किसी भी निगमित निकाय या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारी कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण के अध्यधीन अन्य संस्था के कॉर्पोरेट क्षेत्र के अभिदाता, लागू सेवा नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता पर, उसका निकास विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (क) द्वारा शासित होगा।

(ख) जहां कोई अभिदाता उप-विनियम (1) के खंड (क) के तहत निकास के लिए पात्र होने से पहले, स्वेच्छा से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास का विकल्प चुनता है, तो संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और संचित पेंशन धन की शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि, यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन पांच लाख रुपए के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोई अन्य सीमा है, तो ऐसे अभिदाता के पास संपूर्ण संचित पेंशन धन का एकमुश्त प्रत्याहरण या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार करने का विकल्प होगा।

(ग) जहां किसी अभिदाता की मृत्यु निकास से पहले हो जाती है, तो अभिदाता की संपूर्ण संचित पेंशन धन का भुगतान, ऐसे अभिदाता के नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, को एकमुश्त किया जाएगा।

बशर्ते कि मृत अभिदाता के नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों) के पास आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या वार्षिकी या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार निकलने का विकल्प होगा।

परन्तु यह भी कि यदि मृत अभिदाता द्वारा उसकी मृत्यु से पहले नामांकन पंजीकृत नहीं किया जाता है, तो संचित पेंशन धन का भुगतान संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिक वारिस प्रमाणपत्र अथवा सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर विधिक वारिस(सों) को किया जाएगा।

(घ) यदि कोई अभिदाता शारीरिक रूप से अक्षम है या शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है, जिसके कारणवश वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने में असक्षम है, तो ऐसे मामलों में निकासी को उप-विनियम (1) के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार माना जाएगा, जो अभिदाता के, सरकारी शल्यकार या चिकित्सक (जो अभिदाता के

इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो) द्वारा प्रदान किया गया विकलांगता प्रमाणपत्र जमा करने के अधीन होगा, जिसमे विकलांगता की प्रवृति तथा सीमा वर्णित हो तथा जो ये भी प्रमाणित करता हो कि:

i) प्रभावित अभिदाता अपने नियमित कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं है और प्रभावित अभिदाता के अपने जीवन की शेष अवधि के लिए काम करने में सक्षम न होने की वास्तविक संभावना है; और

(ii) ऐसे सरकारी सर्जन या चिकित्सक (जो अभिदाता के इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो) के विचार से विकलांगता की प्रतिशतता पचहत्तर प्रतिशत से अधिक है।

(ङ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता लेने वाले किसी व्यक्ति के मामले में, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद लेकिन पचासी वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व, निकास पर, ऐसे अभिदाता की संचित पेंशन धन का कम से कम बीस प्रतिशत अनिवार्य रूप से मासिक या किसी अन्य आवधिक पेंशन के रूप में प्रदान करते हुए, वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और संचित पेंशन धन की शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि अभिदाता की संचित पेंशन धन बारह लाख रुपए के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोई अन्य सीमा है, तो ऐसे अभिदाता के पास संपूर्ण संचित पेंशन धन का एकमुश्त प्रत्याहरण या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार करने का विकल्प होगा।

परन्तु यह भी कि यदि ऐसे अभिदाता की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता रहते हुए, मृत्यु हो जाती है, तो अभिदाता के संपूर्ण संचित पेंशन धन का भुगतान ऐसे अभिदाता के नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, को किया जाएगा।

बशर्ते कि मृत अभिदाता के नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों) के पास आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या वार्षिकी या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार निकलने का विकल्प होगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए -

(i) कारपोरेट क्षेत्र के अंतर्गत कोई अभिदाता लागू सेवा नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति अथवा अधिवर्षिता पर, तब तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बना रहेगा जब तक कि निकास का कोई विकल्प नहीं अपनाया जाता।

(ii) जहां अभिदाता, उप-विनियम (1) के खंड (क) के तहत निकास के लिए पात्र होने के बाद, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध लाभों का प्रत्याहरण जारी रखता है या उन्हें स्थगित करता है, वहां व्यक्तिगत पेंशन खाते के संबंध में देय व्यय, अनुरक्षण प्रभार और शुल्क, अभिदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) इस विनियम के अंतर्गत निकास पर उपलब्ध लाभ अनुसूची-I की तालिका-2 के अंतर्गत सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदान किए गए हैं।

8. मुख्य विनियमों में, विनियम 4 के बाद निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्: -

"4ए. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत विशिष्ट उद्देश्य योजना के मामले में निकास और प्रत्याहरण. - इन विनियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत किसी विशिष्ट उद्देश्य योजना की सदस्यता लेने वाला व्यक्ति, उस योजना के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगा। ऐसे दिशा-निर्देशों में प्रत्येक योजना के संबंध में योजना की विशेषताएं, निकास और प्रत्याहरण की शर्तें और अन्य आवश्यक उपबंधशामिल होंगें ।

9. मुख्य विनियमों में, विनियम 5 में,

क. "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एनपीएस-लाइट या स्वावलंबन अभिदाता के रूप में पंजीकृत कोई भी अभिदाता,

यहां विनिर्दिष्ट पद्धति से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास कर सकता है, अर्थात्: - " शब्दों के साथ प्रावधान को उप-विनियम (1) के रूप में माना जाएगा।

ख. खंड (क) में, शब्द और प्रतीक ", और ऐसे उपयोजन के पश्चात्" को हटा दिया जाएगा।

ग. खंड (क) के दूसरे परंतुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

इसमें कहा गया है, 'यदि अभिदाता की संचित पेंशन धन दो लाख रुपए के बराबर या उससे कम है तो ऐसे अभिदाता के पास संपूर्ण संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा

घ. खंड (ख) में, शब्द और प्रतीक ", इस तरह के उपयोग के बाद" को हटा दिया जाएगा।

ङ. खंड (ख) के पहले परंतुक में, "बाहर" शब्द को हटा दिया जाएगा।

च. खंड (ख) के दूसरे परंतुक में, "एक लाख रुपए" शब्द के स्थान पर "दो लाख रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

छ. खंड (ग) में, "नामित व्यक्ति या कुटुम्ब के सदस्यों" शब्दों के स्थान पर " नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

ज. खंड (ग) के परंतुक में, "कुटुम्ब के सदस्यों" शब्दों के स्थान पर, "विधिक वारिस(सों)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

झ. उप-विनियम (1) के खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित अन्तर्विष्ट किया जाएगा :

"स्पष्टीकरण: इस विनियम के तहत निकास पर उपलब्ध लाभ अनुसूची I की तालिका 3 के तहत सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदान किये गए हैं"

10. मुख्य विनियमों में, विनियम 5 के बाद निम्नलिखित नियम शामिल किए जाएंगे: -

"5क. नागरिकता के परित्याग के मामले में निकास. - (1) जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कोई अभिदाता भारत का नागरिक नहीं रह जाता है, उसके पास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों या परिपत्र के अनुसार, व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद करने और, संपूर्ण संचित पेंशन धन को वापस लेने का विकल्प होगा।

5ख. लापता और मृत समझे गए व्यक्ति के मामले में निकास. - (1) विनियम 3, 4, 4A और 5 के अंतर्गत शामिल अभिदाताओं, जो लापता हैं और मृत मान लिए गए हैं, के निकास को निम्नानुसार निपटाया जाएगा:

(क) लापता के रूप में पहचाने गए अभिदाता के नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, संचित पेंशन धन के बीस प्रतिशत को एकमुश्त अंतरिम राहत के रूप में भुगतान किये जाने का अधिकार होगा, और शेष अस्सी प्रतिशत निवेशित रहेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अभिदाता के लापता और मृत माने जाने के निर्धारण के पश्चात्र भुगतान किया जाएगा।

(ख) ऐसी अंतरिम राहत जारी करने के प्रयोजन के लिए, नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों) को , जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को संबंधित पुलिस थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की एक प्रति तथा पुलिस द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद अभिदाता का पता न चलने संबंधी पुलिस रिपोर्ट,, इसके साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के पक्ष में क्षतिपूर्ति बांड भी प्रस्तुत करना होगा,जिसके अंतर्गत यह उपबंध होगा कि इस प्रकार प्रदान की गई अंतरिम राहत के संबंध में न तो ऐसा न्यास और न ही कोई अन्य संस्था या प्राधिकरण, अभिदाता या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(ग) जहां नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों) द्वारा, जैसा भी मामला हो, सक्षम न्यायालय से एक आदेश प्रस्तुत करता है जिसमें यह घोषणा की जाती है कि लापता अभिदाता को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार मृत माना जाता है, संचित पेंशन धन का शेष अस्सी प्रतिशत का निपटान, विनियम 3 के उप-विनियम (1) के

खंड (ग) या विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) या विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (ग), या विशिष्ट उद्देश्य योजनओं के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि, जहां अभिदाता जिसके लापता होने की सूचना दी गई थी, बाद में सक्षम न्यायालय द्वारा उसके मृत होने की घोषणा से पहले जीवित होने की सूचना दी जाती है, ऐसी स्थिति में अभिदाता का व्यक्तिगत पेंशन खाता सभी प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा और संचित पेंशन धन का बीस प्रतिशत जो उसके नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों) को भुगतान किया गया था, जैसा भी मामला हो, अभिदाता को उसके निकास के समय किए जाने वाले एकमुश्त प्रत्याहरण भुगतान से समायोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: सरकारी क्षेत्र के अभिदाता के मामले में, लापता व्यक्ति के रूप में पहचान या जीवित होने की सूचना, नोडल कार्यालय या नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणन के आधार पर की जाएगी, और गैर-सरकारी क्षेत्र के अभिदाता के मामले में, यह पहचान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा की जाएगी।

11. मुख्य विनियमों के विनियम 6 में,

(क)अनुच्छेद "एक अभिदाता" के लिए..... उपबंध, अर्थात्:-", निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत कोई अभिदाता उससे निकास नहीं करेगा, और संचित पेंशन धन से कोई भी प्रत्याहरण विनियम 3, 4, 4क, 5, 5क और 8 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद्धति केअतिरिक्त अनुमत नहीं होगी; तथा आगे इन प्रावधानों में उल्लिखित हैं, अर्थात्: -"

(ख) उप-विनियम (1) के खंड (क) में, "स्थायी सेवानिवृत्ति खाते के टियर-I खाते में कोई पेंशन या संचित पेंशन धन नहीं" शब्दों के स्थान पर, "उप-विनियम (ख) के प्रावधानों के अध्यधीन, व्यक्तिगत पेंशन खाते में कोई पेंशन या संचित पेंशन धन नहीं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ग)उप-विनियम (1) के खंड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(ख) अभिदाता को विनियम 8 के तहत अनुमत सीमा तक विनियमित वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा और जिसके उद्देश्य के लिए, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ के संबंध में ऋणदाता के पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई समनुदेशन, गिरवी, संविदा, आदेश, विक्रयया प्रतिभूति सृजित कर सकता है। ऋणदाता, विनियम 8 के अंतर्गत अनुमत सीमा तक व्यक्तिगत पेंशन खाते पर ग्रहणाधिकार या प्रभार अंकित कर सकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों या परिपत्र के अनुसार प्राप्त अनुरोध के संबंध में ऐसी सुविधा की अनुमति देगा।"

(घ)खंड (ङ) में, "कॉर्पस" शब्द के स्थान पर सर्वत्र, "धन" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ङ)खंड (झ) को हटा दिया जाएगा।

(च) खंड (ञ) में, "कॉर्पस" शब्द के स्थान पर, "धन" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा; "कुटुम्ब के सदस्यों" शब्द के स्थान पर , "विधिक वारिस(सों)" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12. मुख्य विनियमों में, विनियम 7 के उप-विनियम (1) में,

(क) "प्रत्याहरण करना" शब्दों के स्थान पर, "प्राप्त करना" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) "निकास पर" शब्द हटा दिए जाएंगे।

13. मुख्य विनियमों में, विनियम 8 में, उप-विनियम (1) में,

(क) शब्द "अभिदाता की संचित पेंशन धन की, जो अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है और नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान को छोड़कर, यदि कोई हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास से पहले किसी भी समय," निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अभिदाता की संचित पेंशन धन से, अभिदाता द्वारा किए गए स्वयं के अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं,"

(ख) खंड (क) में, शब्द और प्रतीक "ऐसे अभिदाता द्वारा अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में किए गए अंशदान में से, जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं" को हटा दिया जाएगा।

(ग) खंड (क) के उप-खंड (ग) में, "एकमुश्त प्रत्याहरण" शब्द "अपने स्वयं के नाम से या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट क्रय करने या उसके संन्निर्माण के लिए" शब्दों से पहले अन्तर्विष्ट किया जाएगा ।

(घ) खंड (क) के उप-खंड (घ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(घ) स्वयं या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी, बच्चों जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हैं या माता-पिता के चिकित्सा उपचार या अस्पताल में भर्ती होने के लिए।"

(ङ) खंड (क) के उपखंड (च) और (छ) को हटा दिया जाएगा।

(च) खंड (क) के उप-खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित नया उप-खंड अन्तर्विष्ट किया जाएगा:

"(ज) ग्रहणाधिकार या व्यक्तिगत पेंशन खाते पर अंकित प्रभार के विरुद्ध, एक विनियमित वित्तीय संस्थान से एक अभिदाता द्वारा लिए गए वित्तीय दायित्व के निपटान के लिए ।"

(छ) खंड (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(ग) आवृत्ति: उप-विनियम (1) के अध्यधीन,

(क) अभिदाता को साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व अथवा सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता से पूर्व, जो भी बाद में हो, अधिकतम चार बार तक प्रत्याहरण करने की अनुमति होगी, तथा क्रमिक प्रत्याहरण के बीच न्यूनतम चार वर्ष का अंतराल होगा।

(ख) ऐसा अभिदाता, जो साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अथवा सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के पश्चात्, जो भी बाद में हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बना रहता है, उसे व्यक्तिगत पेंशन खाते से आंशिक प्रत्याहरण करने पात्रता होगी, जिसमें क्रमिक प्रत्याहरण के बीच न्यूनतम तीन वर्ष का अंतराल होगा, जिसकी राशि पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

(i) अंशदान, यदि केवल एक अंशदान स्रोत है, या

(ii) एक से अधिक अंशदान स्रोत होने की स्थिति में स्वयं का अंशदान।

14. मुख्य विनियमों में, विनियम 8 में, उप-विनियम (2) में,

(क) शब्द और प्रतीक "टियर-II खाते के मामले में:" शब्दों और प्रतीक "(i) एक वैध अभिदाता के साथ" के पहले अन्तर्विष्ट किया जाएगा ।

(ख) खंड (i) में, "स्थायी सेवानिवृत्ति खाते के हो सकते हैं" शब्दों के स्थान पर, शब्द "हो सकता है" प्रतिस्थापित किया जाएगा। "संचित पेंशन धन" शब्दों के स्थान पर, "संचित धन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) खंड (iii) में, शब्द और प्रतीक "एक व्यक्तिगत पेंशन खाते के संबंध में खोला गया," "टियर-II खाता" शब्दों के बाद और "स्वतः ही बंद हो जाएगा" से पहले अन्तर्विष्ट किया जाएगा । "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की निकासी के समय" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे व्यक्तिगत पेंशन खाते से निकास और समापन होने पर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

15. मुख्य विनियमों के विनियम 32 में,

(क)"भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और उसमें हुए संशोधन" शब्दों को "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023" द्वारा

प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) जहाँ भी शब्द "आश्रित" प्रयुक्त हुआ है, उसे हटा दिया जाएगा।

16. विनियम 39 के बाद, अनुसूची I को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:

"अनुसूची I

[विनियम 3, 4 और 5 देखें]

तालिका 1 - सरकारी क्षेत्र

निकास परिदृश्य/घटना	**निकास के समय संचित पेंशन धन (₹)**	**संचित पेंशन धन का उपयोग**		
		एकमुश्त राशि (संपूर्ण एकमुश्त या व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन या अन्य अनुमोदित विकल्पों के अनुसार)	**कम से कम छह वर्षों के लिए व्यवस्थित इकाई आधिमोचन**	**वार्षिकी**
विनियम 3(1)(क) के अनुसार सेवानिवृत्ति पर (या) विनियम 3(1)(घ) के अनुसार सेवामुक्त होने पर	≤ 8 लाख	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
		अथवा		
		60% तक	लागू नहीं	कम से कम 40%
	> 8 लाख ≤ 12 लाख	₹6 लाख तक	एकमुश्त राशि के बाद शेष राशि	लागू नहीं
		अथवा		
		₹6 लाख तक	लागू नहीं	एकमुश्त राशि के बाद शेष राशि
		अथवा		
		60% तक	लागू नहीं	कम से कम 40%
	> 12 लाख)	60% तक	लागू नहीं	कम से कम 40%
विनियम 3 (1) (ख) के अनुसार इस्तीफे/सेवा से हटाए जाने पर	≤ 5 लाख	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
		अथवा		
		20% तक	लागू नहीं	कम से कम 80%
	> 5 लाख	20% तक	लागू नहीं	कम से कम 80%
विनियम 3(1)(ग) के अनुसार मृत्यु पर	≤ 8 लाख	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
		अथवा		
		20% तक	लागू नहीं	कम से कम 80%
	> 8 लाख ≤ 12 लाख	₹6 लाख तक	एकमुश्त राशि के बाद शेष राशि	लागू नहीं
		अथवा		
		₹6 लाख तक	लागू नहीं	एकमुश्त राशि के बाद शेष राशि
		अथवा		
		20% तक	लागू नहीं	कम से कम 80%
	> 12 लाख	20% तक	लागू नहीं	कम से कम 80%

तालिका 2 - गैर-सरकारी क्षेत्र

निकास परिदृश्य/घटना	निकास के समय संचित पेंशन धन (₹)	संचित पेंशन धन का उपयोग		
		एकमुश्त राशि (संपूर्ण एकमुश्त या व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन या अन्य अनुमोदित विकल्पों के अनुसार)	कम से कम छह वर्षों के लिए व्यवस्थित इकाई आधिमोचन	वार्षिकी
सदस्यता के 15 साल ≥ पर, या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, या विनियम 4 (1) (क) के अनुसार सेवानिवृत्ति पर (या) विनियम 4(1)(घ) के अनुसार शारीरिक अक्षमता पर	≤ 8 लाख	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
		अथवा		
		लागू नहीं	100%	लागू नहीं
	> 8 लाख ≤ 12 लाख	₹6 लाख तक	एकमुश्त राशि के बाद शेष राशि	लागू नहीं
		अथवा		
		₹6 लाख तक	लागू नहीं	एकमुश्त राशि के बाद शेष राशि
		अथवा		
		80% तक	लागू नहीं	कम से कम 20%
	> 12 लाख	80% तक	लागू नहीं	कम से कम 20%
विनियम 4(1)(b) के अनुसार स्वैच्छिक निकास पर	≤ 5 लाख	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
		अथवा		
		20% तक	लागू नहीं	कम से कम 80%
	> 5 लाख	20% तक	लागू नहीं	कम से कम 80%
विनियम 4(1)(ग) के अनुसार मृत्यु पर	कोई भी संचित पेंशन धन	100% तक	लागू नहीं	100% तक
विनियम 4(1)(ङ) के अनुसार 60 साल होने पर या उसके बाद शामिल होने वाले व्यक्तियों द्वारा निकास	≤ 12 लाख	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
		अथवा		
		80% तक	लागू नहीं	कम से कम 20%
	> 12 लाख	80% तक	लागू नहीं	कम से कम 20%
विनियम 4 (1) (ङ) के अनुसार 60 साल होने पर या उसके बाद शामिल होने वाले व्यक्तियों की मृत्यु पर	कोई भी संचित पेंशन धन	100% तक	लागू नहीं	100% तक

तालिका 3 - एनपीएस-लाइट स्वावलंबन

निकास परिदृश्य/घटना	निकास के समय संचित पेंशन धन (₹)	संचित पेंशन धन का उपयोग	
		एकमुश्त राशि (संपूर्ण एकमुश्त)	वार्षिकी
विनियम 5(1)(क) के अनुसार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर	≤ 2 लाख	100%	लागू नहीं
		अथवा	
		60% तक	कम से कम 40%
	> 2 लाख	60% तक	कम से कम 40%
विनियम 5 (1) (ख) के अनुसार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले	≤ 2 लाख	100%	लागू नहीं
		अथवा	
		20% तक	कम से कम 80%
	> 2 लाख	20% तक	कम से कम 80%
विनियम 5(1)(ग) के अनुसार मृत्यु पर	कोई भी संचित पेंशन धन	100% तक	100% तक

शिवसुब्रमाणियन रमण, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./544/2025-26]

नोट:

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 को दिनांक 11 मई, 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था। पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8; और अंतिम बार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे दिनांक 23 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2025

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EXITS AND WITHDRAWALS UNDER THE NATIONAL PENSION SYSTEM) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. PFRDA/16/14/06/0009/2018-REG-EXIT.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) read with clauses (g), (h), and (i) of sub-section (2) thereof, the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015, namely: -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2025.
2. These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 1,
 (a) in para under sub-regulation (1), the words "and purchase an annuity thereupon" shall be deleted.
 (b) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(1A) These regulations shall apply to exits and withdrawals from the pension schemes under the National Pension System."

4. In the principal regulations, in regulation 2, in sub-regulation (1),

(a) in clause (b), for the words "the pension investments accumulated in the Permanent Retirement Account", the words "the investments that have accumulated in each individual pension account" shall be substituted.

(b) clause (c) shall be omitted.

(c) after clause (f), the following clause shall be inserted namely: -

"(fa) 'Defer' or 'Deferment' means the postponement of withdrawal of lump sum or purchase of annuity, as the case may be, by a subscriber;"

(d) clause (i) shall be omitted.

(e) clause (k) shall be substituted as follows:

""Exit" for the purpose of these regulations shall mean the following:
(1) an exercise of choice by a subscriber to close his individual pension account or opt out of a pension scheme under the National Pension System, in any of the following instances:
(i) having superannuated or retired from employment as per the terms of such employment or having attained sixty years of age, or any time thereafter,
(ii) having subscribed to a pension scheme for a period of not less than fifteen years or such other higher period stipulated in accordance with provisions of such scheme, but shall not apply to a scheme subscribed to on account of employment of any nature, or
(iii) upon premature closure of an account or opting out of a pension scheme by a subscriber in accordance with these regulations, other than in instances mentioned above.
(2) closure of individual pension account, upon death of the subscriber or in case of subscriber being missing and presumed dead under the provisions of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.
Provided that where a subscriber has more than one individual pension account, the exit and closure of each individual pension account shall be separate and to be determined in accordance with these regulations."

(f) clause (l) shall be omitted.

(g) after clause (l), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(m) "Non-Government Sector Subscriber" means any subscriber under the National Pension System other than a Government sector subscriber;
(n) "All Citizen Model Subscriber" means any subscriber who has voluntarily subscribed to the National Pension System and registered as such with the central recordkeeping agency;
(o) "Corporate Sector Subscriber" means any non-government sector subscriber subscribed to the National Pension System and registered as such with the central recordkeeping agency;
(p) "pension scheme" means a scheme of a Pension Fund under Section 20 of the Act and shall include:
(i) common scheme(s) applicable to government and non-government sector subscribers, as the case may be;
(ii) scheme(s) approved by the Authority under Multiple Scheme Framework;
(iii) any other scheme for a specific purpose in accordance with the Guidelines issued by the Authority.
Explanation: "Common Scheme" means a scheme of a Pension Fund other than schemes under Multiple Scheme Framework."

5. In the principal regulations, in chapter II, for the paragraph after the heading, the following paragraph shall be substituted, namely: -

"For the purpose of exit from the National Pension System, the subscribers are categorized and defined as, (1) Government sector, (2) Non-Government sector and (3) NPS- Lite and Swavalamban. The regulations specified hereunder shall apply accordingly to the category to which the subscriber belongs to."

6. In the principal regulations, in regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely: -

*"**3. Exit from the National Pension System for government sector subscribers. -** (1) A government sector subscriber:*

(a) upon attaining the age of superannuation or retirement as prescribed by the service rules applicable, shall continue to remain within the National Pension System till the age of eighty-five years until the choice of exit is exercised, whereupon at least forty per cent of the accumulated pension wealth shall be utilized for purchase of default annuity providing for a monthly or any other periodical pension, as opted by the subscriber, and the balance of the accumulated pension wealth shall be paid to the subscriber in lump sum or through periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority.

Notwithstanding the above where the accumulated pension wealth:

(i) does not exceed rupees eight lakh, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth in lump sum or avail periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority;

(ii) is more than rupees eight lakh but does not exceed rupees twelve lakh, the subscriber shall have the option to withdraw an amount not exceeding rupees six lakh as lump sum or avail periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority, and the balance of the accumulated pension wealth shall be utilized to avail periodic payouts in the form of systematic unit redemption for at least six years or annuity or other options as may be approved by the Authority.

Provided that a subscriber may defer purchase of annuity or withdrawal of lump sum amount till the age of eighty-five years by submitting a request to National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose and during such period the subscriber shall have an option to exit at any time.

Provided further that where a subscriber, having deferred the purchase of annuity, dies before such annuity purchase, the default annuity shall mandatorily be purchased by family member(s) in the sequence specified for the default annuity.

Provided further that where a subscriber, having deferred the withdrawal of lump sum amount, dies before such lump sum withdrawal, the said amount shall be paid to the nominee(s) or the legal heir(s), as the case may be.

(b) upon being permitted to resign from service or is issued orders of dismissal or removal from service, may voluntarily close his individual pension account, whereupon at least eighty per cent of the accumulated pension wealth shall mandatorily be utilized for purchase of a default annuity or any other annuity made available by the annuity service providers empanelled by the Authority and the balance of the accumulated pension wealth shall be paid to the subscriber in lump sum or through periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority.

Provided that if the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than rupees five lakh or any other limit approved by the Authority, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth in lump sum or avail periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority.

(c) before attaining the age of superannuation, dies, then at least eighty percent of the accumulated pension wealth of the subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of the default annuity and balance of the accumulated pension wealth shall be paid as lump sum or through periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority, to the nominee(s) or legal heir(s), as the case may be, of such subscriber.

Notwithstanding the above where the accumulated pension wealth:

(i) does not exceed rupees eight lakh, the nominee(s) or legal heir(s) shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth in lump sum or avail periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority;

(ii) is more than rupees eight lakh but does not exceed rupees twelve lakh, the nominee(s) or legal heir(s), as the case may be, shall have the option to withdraw an amount not exceeding rupees six lakh as lump sum or avail periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority, and the balance of the accumulated pension wealth shall be utilized to avail periodic payouts in the form of systematic unit redemption for at least six years or annuity or other options as may be approved by the Authority.

(d) Where the employer certifies that the subscriber has been discharged from the services of the concerned office on account of invalidation or disability or premature retirement as per the applicable service rules, shall exit in the manner specified under clause (a) of sub-regulation (1).

Provided that in case of a Central Government employee, exit shall be in the manner specified under clause (a) of sub-regulation (1), if the subscriber is discharged from service on any of the following grounds, as prescribed under the CCS NPS Rules 2021:

(i) Completion of twenty years' regular service.

(ii) Benefits on retirement under Rule 56 of the Fundamental Rules or under the special voluntary retirement Scheme.

(iii) Entitlement on retirement on invalidation.

(iv) Entitlement on boarding out from service on account of disablement.

(v) Absorption in or under a Corporation or Company or Body wholly or substantially owned or controlled or financed by the Central Government or a State Government, if the National Pension System does not exist in the new organization.

Explanation: *For the purpose of this regulation -*

(i) Default Annuity shall provide for annuity for life of the subscriber and his or her spouse (if any) with provision for return of purchase price of the annuity and on the demise of such subscriber and his or her spouse, the annuity be re-issued to the family members in the order specified hereunder, at the rate of premium prevalent at the time of purchase of such annuity by utilizing the purchase price required to be returned under the annuity contract (until the family members in the order specified below are covered) :-

(a) mother of the deceased subscriber;

(b) father of the deceased subscriber.

After the coverage of the family members specified above, the purchase price or the amount which was to be utilised for the purchase of annuity shall be returned to the surviving children of the subscriber and in the absence of children, to the other legal heir(s) of the subscriber, as the case may be.

In case of non-availability of such a default annuity for any reason, or where the subscriber, nominee(s), or legal heir(s), as may be applicable, opts not to take the default annuity, such subscriber, nominee(s), or legal heir(s) shall be required to exercise the option for purchase of such annuity of his choice, within the then annuity options made available by the annuity service providers empanelled by the Authority;

The dispensation provided in respect of the default annuity shall also apply in case of any periodic payout availed in the form of systematic unit redemption or such other options, as may be approved by the Authority.

(ii) In respect of a subscriber who has superannuated or retired from the government sector and continues under the National Pension System in any manner, including under all citizen model or corporate sector, his exit shall be governed by regulation 3.

(iii) Where the subscriber, post superannuation or retirement, continues or defers the withdrawal of benefits available under the National Pension System, the expenses, maintenance charges and fee payable in respect of the individual pension account, shall be borne by subscriber.

(iv) The benefits available upon Exit under this Regulation are provided in tabular format under Table 1 of Schedule I."

7. In the principal regulations, in regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely: -

*"**4. Exit from the National Pension System for non-government sector subscribers. -** (1) A non-government sector subscriber shall remain within the system until attaining the age of eighty-five years unless an option of exit is exercised in the manner specified hereunder, namely: -*

(a) where a subscriber exercises the choice of exit upon having subscribed to the National Pension System for a period not less than fifteen years or such other higher period stipulated in accordance with provisions of such scheme, or upon attaining the age of sixty years; or upon superannuation or retirement in accordance with the terms and conditions applicable to such subscriber by virtue of his employment, then at least twenty percent of the accumulated pension wealth of such subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity providing for a monthly or any other periodical pension and the balance of the accumulated pension wealth shall be paid to the subscriber in lump sum or through periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority.

Notwithstanding the above where the accumulated pension wealth:

(i) does not exceed rupees eight lakh, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth in lump sum or avail periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority;

(ii) is more than rupees eight lakh but does not exceed rupees twelve lakh, the subscriber shall have the option to withdraw an amount not exceeding rupees six lakh as lump sum or avail periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority, and the balance of the accumulated pension wealth shall be utilized to avail periodic payouts in the form of systematic unit redemption for at least six years or annuity or other options as may be approved by the Authority.

Provided that a subscriber may defer purchase of annuity or withdrawal of lump sum amount till the age of eighty-five years by submitting a request to National Pension System Trust or any intermediary or entity

authorized by the Authority for this purpose and during such period the subscriber shall have an option to exit at any time.

Provided further that where a subscriber, having deferred the purchase of annuity or withdrawal of the lump sum amount, dies before such annuity purchase or lump sum withdrawal, the accumulated pension wealth of the subscriber meant for the purchase of annuity or withdrawal of the lump sum shall be paid to the nominee(s) or legal heir(s), as the case may be.

Provided further that a corporate sector subscriber of a statutory body or any body corporate or other entity under the ownership and control, either of the Central Government or any State Government or a Government Company, upon superannuation or retirement in accordance with the service rules applicable, his exit shall be governed by clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3.

(b) where a subscriber before being eligible to exit under clause (a) of sub-regulation (1), voluntarily opts to exit from the National Pension System, then at least eighty percent of the accumulated pension wealth shall be mandatorily utilized for purchase of annuity and the balance of the accumulated pension wealth shall be paid to the subscriber in lump sum or through periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority.

Provided that if the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than rupees five lakh or any other limit approved by the Authority, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth in lump sum or avail periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority.

(c) where a subscriber dies before exit, the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid in lump sum to the nominee(s) or legal heir(s), as the case may be, of such subscriber.

Provided that the nominee(s) or legal heir(s) of the deceased subscriber shall have an option to avail periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or annuity or in accordance with other options approved by the Authority.

Provided further that in case the nomination is not registered by the deceased subscriber before his death, the accumulated pension wealth shall be paid to the legal heir(s) on the basis of the legal heir certificate issued by the competent authorities of the State concerned or the succession certificate issued by a court of competent jurisdiction.

(d) In case of a subscriber being physically incapacitated or has suffered a bodily disability leading to his incapability to continue with his individual pension account under the National Pension System, the exit in such cases shall be determined as per the provisions of clause (a) of sub-regulation (1) subject to the subscriber submitting a disability certificate from a Government surgeon or Doctor (treating such disability or invalidation of subscriber) stating the nature and extent of disability and also certifying that:

(i) the affected subscriber is not in a position to perform his regular duties and there is a real possibility of the affected subscriber, being not able to work for the remaining period of his life; and

(ii) percentage of disability is more than seventy-five percent in the opinion of such Government surgeon or doctor (treating such disability or invalidation of subscriber).

(e) In case of an individual subscribing to the National Pension System, on or after attaining the age of sixty years but before attaining the age of eighty-five years, upon exit, at least twenty percent of the accumulated pension wealth of such subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity providing for a monthly or any other periodical pension and the balance of the accumulated pension wealth shall be paid to the subscriber in lump sum or through periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority

Provided that if the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than rupees twelve lakh or any other limit approved by the Authority, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth in lump sum or avail periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or in accordance with other options approved by the Authority.

Provided further that if such subscriber dies, while being subscribed to the National Pension System, the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee(s) or legal heir(s), as the case may be, of such subscriber.

Provided further that the nominee(s) or legal heir(s) of the deceased subscriber shall have an option to avail periodic payouts in the form of systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or annuity or in accordance with other options approved by the Authority.

Explanation: *For the purpose of this regulation -*

(i) A corporate sector subscriber, upon superannuation or retirement in accordance with the service rules applicable, shall continue within the National Pension System under the 'All Citizen model' unless an exit is exercised.

(ii) Where the subscriber, after being eligible to exit under clause (a) of sub-regulation (1), continues or defers the withdrawal of benefits available under the National Pension System, the expenses, maintenance charges and fee payable in respect of the individual pension account, shall be borne by subscriber.

(iii) The benefits available upon Exit under this Regulation are provided in tabular format under Table 2 of Schedule I."

8. In the principal regulations, the following regulation shall be inserted after regulation 4, namely: -

*"**4A. Exit and withdrawal in case of specific purpose scheme under the National Pension System. -** Notwithstanding anything contained in these regulations, an individual subscribing to any specific purpose scheme under the National Pension System shall be governed by the guidelines issued by the Authority in respect of such scheme. Such guidelines shall include the scheme features, the terms of exit and withdrawal and such other stipulations in respect of each of such scheme."*

9. In the principal regulations, in regulation 5,

(a) the provision with words "Any subscriber registered under National Pension System as NPS-Lite or Swavalamban subscriber, can exit from the National Pension System, in the manner specified hereunder, namely: -" shall be numbered as sub-regulation (1).

(b) in clause (a), the words and symbols ", after such utilization" shall be omitted.

(c) the second proviso to clause (a) shall be substituted as follows: -

"if the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than rupees two lakh, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth in lump sum;"

(d) in clause (b), the words and symbols ", after such utilization" shall be omitted.

(e) in the first proviso to clause (b), the word "out" shall be omitted.

(f) in the second proviso to clause (b), for the word "one lakh rupees", the words "rupees two lakh" shall be substituted.

(g) in clause (c), for the words "nominee or family members", the words "nominee(s) or legal heir(s)" shall be substituted.

(h) in the proviso to clause (c), for the words "family members", the words "legal heir(s)" shall be substituted.

(i) after clause (c) of sub-regulation (1), the following shall be inserted:

"Explanation: The benefits available upon Exit under this Regulation are provided in tabular format under Table 3 of Schedule I"

10. In the principal regulations, the following regulations shall be inserted after regulation 5 namely: -

*"**5A. Exit in case of Renunciation of Citizenship. -** (1) Where a subscriber under the National Pension System ceases to be a citizen of India, he shall have the option to close the individual pension account and withdraw the entire accumulated pension wealth in lump sum, in accordance with the guidelines or circular issued by the Authority."*

5B. Exit in case of missing and presumed dead person. - *(1) The exit of subscribers, covered under regulations 3, 4, 4A and 5 who are missing and presumed dead, shall be dealt with as under:*

(a) the nominee(s) or the legal heir(s), as the case may be, of the subscriber identified as missing, shall be entitled to be paid twenty percent of the accumulated pension wealth as an interim relief in lump sum and the balance eighty percent shall remain invested and be paid upon determination of such subscriber as missing and presumed dead as per the provisions of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

(b) For the purpose of release of such interim relief, the nominee(s) or legal heir(s), as the case may be, shall submit to the National Pension System Trust a copy of the First Investigation Report (FIR) lodged with the concerned police station and a report from the police that the subscriber has not been traced despite all efforts made by the police along with an Indemnity bond in favour of National Pension System Trust that neither such Trust nor any other entity or the Authority shall be liable, either to the subscriber, or any other person in respect of the interim relief so paid.

(c) Where the nominee(s) or the legal heir(s), as the case may be, submit an order from a competent court declaring that the subscriber who is missing is presumed to be dead in accordance with the provisions of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, the balance eighty percent of the accumulated pension wealth shall be dealt with in accordance with the provisions of clause (c) of sub-regulation (1) of Regulation 3 or clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 4 or clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 5, or the guidelines issued by the Authority for specific purpose schemes, as the case may be.

Provided that where the subscriber who had been reported to be missing, is subsequently reported to be alive before a declaration being made by the competent court of his being dead, in such an event the individual pension account of the subscriber shall continue for all purposes and the twenty percent of the accumulated pension wealth paid to his nominee(s) or the legal heir(s), as the case may be, shall be adjusted from the lump sum withdrawal payment to be made to the subscriber at the time of his exit.
Explanation: In case of a Government Sector subscriber, the identification as missing person or reported to be alive shall be on the basis of certification provided by the nodal office or employer and that in case of a non-Government Sector subscriber, by National Pension System Trust."

11. In the principal regulations, in regulation 6,

(a) for the para "A subscriber..... provisions, namely:-", the following para shall be substituted:

"(1) A subscriber registered under the National Pension System shall not exit there from, and no withdrawal from the accumulated pension wealth shall be permitted, except in the manner so specified under regulations 3, 4, 4A, 5, 5A and 8, and further as mentioned in these provisions, namely: -"

(b) in clause (a) of sub-regulation (1), for the words "no pension or accumulated pension wealth in Tier-I account of the Permanent Retirement Account", the words "subject to provisions of sub-regulation (b), no pension or accumulated pension wealth in the individual pension account" shall be substituted.

(c) clause (b) of sub-regulation (1) shall be substituted as follows:

"(b) the subscriber shall have the right to seek financial assistance from a regulated financial institution to the extent permitted under regulation 8 and for which purpose, the subscriber may make any assignment, pledge, contract, order, sale or security of any kind with respect to any benefit receivable under the National Pension System in favour of the lender. The lender may mark a lien or charge on the individual pension account to the extent permitted under regulation 8. The National Pension System Trust shall permit such facility in respect of a request received in accordance with the guidelines or circular issued by the Authority;"

(d) in clause (e), for the word "corpus" wherever appearing, the word "wealth" shall be substituted.

(e) clause (i) shall be omitted.

(f) in clause (j), for the word "corpus", the word "wealth" shall be substituted; for the word "family members", the word "legal heir(s)", shall be substituted.

12. In the principal regulations, in regulation 7, in sub-regulation (1),

(a) for the words "withdrawing the", the words "receiving" shall be substituted.

(b) the words "upon exit" shall be omitted.

13. In the principal regulations, in regulation 8, in sub-regulation (1),

(a) the words "of accumulated pension wealth of the subscriber, not exceeding twenty-five per cent of the contributions made by the subscriber and excluding contributions made by employer, if any, at any time before exit from National Pension System," shall be substituted as follows:

"from accumulated pension wealth of the subscriber, not exceeding twenty-five per cent of the own contributions made by the subscriber,"

(b) in clause (A), the words and symbols "not exceeding twenty-five percent. of the contributions made by such subscriber to his individual pension account," shall be omitted.

(c) in sub-clause (c) of clause (A), the words "one-time withdrawal" shall be inserted before the words "for the purchase or construction of a residential house or flat in his or her own name or in a joint name with his or her legally wedded spouse".

(d) sub-clause (d) of clause (A) shall be substituted as follows:

"(d) for medical treatment or hospitalisation of self or legally wedded spouse, children, including legally adopted children or parents."

(e) sub-clauses (f) and (g) of clause (A) shall be omitted.

(f) after sub-clause (g) of clause (A), the following new sub-clause shall be inserted:

"(h) towards settlement of a financial obligation availed by a subscriber from a regulated financial institution against the lien or the charge marked on the individual pension account."

(g) clause (C) shall be substituted as follows:

"(C) Frequency: subject to sub-regulation (1),
(a) subscriber shall be allowed to withdraw up to a maximum of four times prior to attaining the age of sixty years or prior to superannuation or retirement, whichever is later, with a minimum interval of four years between successive withdrawals.
(b) subscriber who remains in the National Pension System beyond the age of sixty years or beyond superannuation or retirement, whichever is later, shall be eligible to make partial withdrawal from an individual pension account, with a minimum interval of three years between successive withdrawals, of an amount not exceeding twenty-five per cent of:
(i) Contribution, in case there is only one contribution stream, or
(ii) Own contribution, in case there is more than one contribution stream."

14. In the principal regulations, in regulation 8, in sub-regulation (2),

(a) the words and symbols "In case of Tier-II account:" shall be inserted before the words and symbol "(i) A subscriber having a valid".

(b) in clause (i), for the words "of the Permanent Retirement Account can", the word "may" shall be substituted. For the words "accumulated pension wealth", the words "accumulated wealth" shall be substituted.

(c) in clause (iii), the words and symbol "opened with respect to an Individual Pension Account," shall be inserted after the words "The Tier-II account" and before "shall stand automatically closed". For the words "at the time of exit of the subscriber from the National Pension System", the words "upon exit and closure of such Individual pension account" shall be substituted.

15. In the principal regulations, in regulation 32,

(a) the words "Indian Evidence Act 1872 and amendments thereto" shall be substituted by "Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023".

(b) the word "dependent" wherever appearing shall be omitted.

16. After regulation 39, Schedule I shall be inserted, namely: -

"**SCHEDULE I**

[See Regulations 3, 4 and 5]

Table 1 - Government Sector

<table>
<tr><th rowspan="2">Exit Scenario / Event</th><th rowspan="2">Accumulated Pension Wealth (APW) at the time of exit (₹)</th><th colspan="3">Utilization of Accumulated Pension Wealth (APW)</th></tr>
<tr><th>Lump Sum (Entire Lump Sum or systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or as per other approved option)</th><th>Systematic Unit Redemption for at least six years</th><th>Annuity</th></tr>
<tr><td rowspan="9">Upon retirement as per regulation 3(1)(a)
(or)
Upon discharge from service as per regulation 3(1)(d)</td><td rowspan="3">≤ 8 lakh</td><td>100%</td><td>Not Applicable</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td colspan="3">Or</td></tr>
<tr><td>Up to 60%</td><td>Not Applicable</td><td>At least 40%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">> 8 lakh ≤ 12 lakh</td><td>Up to ₹6 lakh</td><td>Balance of APW remaining after lump sum</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td colspan="3">Or</td></tr>
<tr><td>Up to ₹6 lakh</td><td>Not Applicable</td><td>Balance of APW remaining after lump sum</td></tr>
<tr><td colspan="3">Or</td></tr>
<tr><td>Up to 60%</td><td>Not Applicable</td><td>At least 40%</td></tr>
<tr><td>> 12 lakh</td><td>Up to 60%</td><td>Not Applicable</td><td>At least 40%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Upon resignation / removal from service as per</td><td rowspan="3">≤ 5 lakh</td><td>100%</td><td>Not Applicable</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td colspan="3">Or</td></tr>
<tr><td>Up to 20%</td><td>Not Applicable</td><td>At least 80%</td></tr>
</table>

regulation 3(1)(b)	> 5 lakh	Up to 20%	Not Applicable	At least 80%
Upon death as per regulation 3(1)(c)	≤ 8 lakh	100%	Not Applicable	Not Applicable
		Or		
		Up to 20%	Not Applicable	At least 80%
	> 8 lakh ≤ 12 lakh	Up to ₹6 lakh	Balance of APW remaining after lump sum	Not Applicable
		Or		
		Up to ₹6 lakh	Not Applicable	Balance of APW remaining after lump sum
		Or		
		Up to 20%	Not Applicable	At least 80%
	> 12 lakh	Up to 20%	Not Applicable	At least 80%

Table 2 - Non-Government Sector

Exit Scenario / Event	**Accumulated Pension Wealth (APW) at the time of exit (₹)**	**Utilization of Accumulated Pension Wealth (APW)**		
		Lump Sum (Entire Lump Sum or systematic lump sum withdrawal or systematic unit redemption or as per other approved option)	**Systematic Unit Redemption for at least six years**	**Annuity**
Upon ≥ 15 years of subscription, or on attaining 60 years, or on superannuation as per regulation 4(1)(a) (or) Upon physical incapacitation as per regulation 4(1)(d)	≤ 8 lakh	100%	Not Applicable	Not Applicable
		Or		
		Up to 80%	Not Applicable	At least 20%
	> 8 lakh ≤ 12 lakh	Up to ₹6 lakh	Balance of APW remaining after lump sum	Not Applicable
		Or		
		Up to ₹6 lakh	Not Applicable	Balance of APW remaining after lump sum
		Or		
		Up to 80%	Not Applicable	At least 20%
	> 12 lakh	Up to 80%	Not Applicable	At least 20%
Upon voluntary exit as per regulation 4(1)(b)	≤ 5 lakh	100%	Not Applicable	Not Applicable
		Or		
		Up to 20%	Not Applicable	At least 80%
	> 5 lakh	Up to 20%	Not Applicable	At least 80%
Upon death as per regulation 4(1)(c)	Any APW	Up to 100%	Not Applicable	Up to 100%
Exit by individuals who joined on or after 60 years as per regulation 4(1)(e)	≤ 12 lakh	100%	Not Applicable	Not Applicable
		Or		
		Up to 80%	Not Applicable	At least 20%
	> 12 lakh	Up to 80%	Not Applicable	At least 20%
Upon death of individuals who joined on or after 60 years as per regulation 4(1)(e)	Any APW	Up to 100%	Not Applicable	Up to 100%

Table 3 - NPS-Lite Swavalamban

Exit Scenario / Event	Accumulated Pension Wealth (APW) at the time of exit (₹)	Utilization of Accumulated Pension Wealth (APW)	
		Lump Sum (Entire Lump Sum)	Annuity
Upon attaining 60 years as per regulation 5(1)(a)	≤ 2 lakh	100%	Not Applicable
		Or	
		Up to 60%	At least 40%
	> 2 lakh	Up to 60%	At least 40%
Before attaining 60 years as per regulation 5(1)(b)	≤ 2 lakh	100%	Not Applicable
		Or	
		Up to 20%	At least 80%
	> 2 lakh	Up to 20%	At least 80%
Upon death as per regulation 5(1)(c)	Any APW	Up to 100%	Up to 100%

SIVASUBRAMANIAN RAMANN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./544/2025-26]

Note:

The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8; and were last amended by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2023 published in the Gazette of India on 23rd March, 2021 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.16 15:56:56 +05'30'